निर्माण सामग्रियों की कमी के संबंध में आकलन क्या है और इन कमियों को कब तक दूर कर लिया जाएगा ; और

(ख) क्या इन कमियों का एक कारण यह भी है कि इन भवन सामग्रियों का बड़ा हिस्सा गगनचुम्बी भवनों तथा विशाल और विलासतापूर्ण महलों के निर्माण में प्रयोग किया जाता है, यदि हां, तो क्या सरकार इस संबंध में आवश्यक कानून/नियम बनाकर मध्यम आय वर्ग समूह के मकानों से बड़े मकानों के निर्माण पर प्रतिबन्ध लगाने का विचार रखती है ?

शहरी विकास मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) 8वीं योजना कार्यों के भाग के रूप में, वास्तविक लक्ष्यों के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण भवन निर्माण सामग्रियों की मांग और सम्भावित कमी का आकलन किया गया है । ब्यौरा इस प्रकार हैं :—

आठवीं पंच-वर्षीय योजना के दौरान आवास के लिए महत्वपूर्ण भवन निर्माण सामग्रियों की मांग/उपलब्धता :

21.77 मिलियन रिहायशी एकक (नव निर्माण 17.97 रिहायशी एकक-3.80 रिहायशी एककों का उन्नयन)

सामग्री	मात्रा		
	मांग	उपलब्धता (मिलियन टन)	कमी
1. सीमेंट	131.98	4.9	17.05
2. इस्पात	13.94	11.2	2.70
3. ईंटें	286496	231591	54899
4. मिलावा (एग्रीगेट)	555.94	270.3	285.59
5. इमारती लकड़ी	29.09	15.7	13.34

जबकि सीमेंट और इस्पात की कमी पर कुछ प्रयासों से काबू पाया जा सकता है, ईंट, मिलावा (एग्रिगेट) और इमारती लकड़ी की कमी अत्यधिक होने की सम्भावना है। इस विकट स्थिति पर काबू पाने के लिए सरकार ने बैंकों पर निर्माण सामग्रियों की उपलब्धता में सुधार के विभिन्न उपाय किए हैं । प्रवर्तित भवन निर्माण सामग्रियों तथा घटकों के विकास, उत्पादन और लागू करने में समन्वय करने के लिए भवन निर्माण सामग्री एवं प्रौद्योगिकी संवर्धन परिषद का गठन किया गया है ।

(ख) ग्रामीण तथा शहरी दोनों क्षेत्रों में उत्तरोत्तर निर्माण कार्यक्रमों के कारण, भवन निर्माण सामग्रियों की मांग में वृद्धि हुई है जिससे मांग तथा पूर्ति में अन्तर बढ़ा है । राष्ट्रीय आवास नीति प्रारूप में विलासपूर्ण निर्माणों में दुर्लभ संसाधनों के विचलन को रोकने की अपेक्षा की गई है । नीति संबंधी प्रारूप दस्तावेज में यह भी विचार किया जाता है कि राष्ट्रीय स्तर पर स्थानीय विसंगतियों के लिये छूट सहित अधिकतम और न्यूनतम आवास मानदण्ड निर्धारित होंगे । विभिन्न आकार के प्लाटों और रिहायशी एककों पर समुचित न्यूनतम और अधिकतम आवास मापदण्ड स्थानीय परिस्थितियों तथा राष्ट्रीय मानदण्डों को ध्यान में रखते हुए संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वार निर्धारित किए जायेंगे ।

Encroachment on public property in Dehli

1157. SHRI KRISHNA KUMAR BIRLA: Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) what is the percentage of rise in the encroachment of public land, roads and footpaths in Delhi during 1989 and 1990 till date;

(b) what is the area of the public land encroached during 1989 and since the beginning of 1990 till date;

(c) what are the business centres in Delhi with maximum encroachment on roads and footpaths; and

(d) what steps have been taken/ proposed to be taken by Government to curb the growing problem of illegal occupation of public land and unauthorised encroachment on footpaths and roads?

THE MINISTER OF URBAN DEVELOPMENT (SHRI MURASOLI MARAN): (a) to (d) The information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना का क्रियान्वयन

1158. **श्री राम जेठमलानी :**
सरदार जगजीत सिंह अरोड़ा :

क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली की जनसंख्या में लगातार हो रही वृद्धि को देखते हुए सरकार द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बनाई गई थी ;

(ख) यदि हां, तो यह योजना कब बनाई गई थी और इस पर वित्तीय वर्ष 1989–90 के अन्त तक कुल कितनी राशि खर्च की जा चुकी है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि इस योजना के क्रियान्वयन का कार्य अभी तक भी प्रारम्भ नहीं हो पाया है ; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) जी, हां।

(ख) सन 1959 में तैयार किए गये दिल्ली के मास्टर प्लान के मसौदे में उल्लिखित सिफ़ारिशों के परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड की स्थापना 1961 में की गयी थी और इसका पुनर्गठन 1973 में किया गया था। तथापि, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड अधिनियम, 1985 के परिणामस्वरूप यह सांविधिक बोर्ड अस्तित्व में आया। इस बोर्ड में एक सांविधिक क्षेत्रीय योजना 2001–एन०सी०आर० तैयार की थी; इसे 23 जनवरी, 1989 से लागू किया गया है। वित्तीय वर्ष, 1989–90 के अन्त तक केन्द्र सरकार द्वारा तथा भाग लेने वाले राज्य सरकारों द्वारा किया गया कुल व्यय 128.08 करोड़ रुपये हैं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

Construction of godowns by Central Warehousing Corporation

1159. PROF. SOURENDRA BHATTACHARJEE: Will the Minister of FOOD AND CIVIL SUPPLIES be pleased to state:

(a) whether Central Warehousing Corporation have constructed any godown at Falta, West Bengal; and

(b) if not, the reasons for which work has not been started so far?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FOOD AND CIVIL SUPPLIES (SHRI RAM PUJAN PATEL): (a) and (b) Yes, Sir. Central Warehousing Corporation had constructed a capacity of 2000 Mts. at Falta, West Bengal during 1987.

Interest free loan under IRDP

1160. SHRI S. MADHAVAN: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether Government propose to give interest free loan under IRDP schemes instead of giving subsidies; and

(b) whether Government are aware that the subsidy portion is being shared by the agencies involved in granting these loans?